फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

परथू पिता खुराज गाडरी निवासी रघुनाथपुरा, तहसील राशमी

बनाम

ग्राम पंचायत अड़ाना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत अड़ाना वगैरा

कार्यवाही :– अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 जा. दी.

प्रकरण संख्या 112/2024 (विविध)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.11.2025	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। बहस प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी/निगराकार ने विपक्षीगण के विरूद्ध एक निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत प्रस्तुत की जिसके प्रकरण संख्या 21/2018 (नि.पं.) दर्ज होकर बहस हेतु दिनांक 12.06.2024 नियत थी। उक्त दिनांक को प्रार्थी अधिवक्ता का स्वास्थ्य खराब हो जाने से प्रार्थी अधिवक्ता आप न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकी जिस कारण उनकी निगरानी प्र. सं. 21/2018 (नि.पं.) को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया। उक्त प्रकरण में पत्रावली अंतिम बहस की स्टेज पर लम्बित होकर उक्त प्रकरण में यदि मेरिट पर सुनवाई होकर निर्णय नहीं हुआ तो प्रार्थी/निगराकार को न्याय से वंचित होना पड़ेगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर उक्त प्रकरण संख्या 21/2018 (नि.पं.) को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश प्रदान करावें। हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। चूंकि प्रार्थी/निगराकार के अधिवक्ता ने नियत तारीख पेशी पर स्वयं के बीमार हो जाने का कथन करते हुए नियत तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हो सकने का निवेदन किया है किन्तु कथन की पुष्टि में बीमारी संबंधी कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है फिर भी सहानुभूति रखते हुए न्यायहित में प्रकरण संख्या 21/2018 (नि.पं.) निर्णय दिनांक 12.06.2024 को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल प्रकरण संख्या 21/2018 (नि.पं.) के संलग्न की जावे।	